

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

-: **अधिसूचना** :-

राँची, दिनांक-23 जुलाई, 2026

सं०-०५/मं०मं०स०/वि०स०सत्र-10/2026-813/ माननीय राज्यपाल,
झारखण्ड का दिनांक- 23-07-2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण
के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-06 अगस्त, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।”

राँची,
दिनांक- 23 जुलाई, 2026

ह०/- संतोष कुमार गंगवार,
राज्यपाल, झारखण्ड

ह०/-कुशलमय केनेथ मुण्डू
सरकार के उप सचिव।

Npva

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

-: आह्वान-पत्र :-

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-०६/२०२६- ५०६५/वि०स०।

प्रेषक,

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रिगण,
झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक- 23.07.26 ई०।

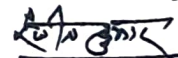
महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड के माननीय राज्यपाल ने भारत का संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा को सभा-वेशम्, राँची में दिनांक 06 अगस्त, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से दिनांक 23 जुलाई, 2026 को जारी की गई एतद् विषयक अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

अतः झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-3 के अधीन मैं आपसे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

विश्वासभाजन,


23/7/2026

(रंजीत कुमार)

प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

